



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1926/2026

राधे श्याम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1984 में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्ष 2018 में उन्हें हेड कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह कहा गया है कि वर्ष 2020 में, कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, याचिकाकर्ता चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया और उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया। चूंकि उनकी पदोन्नति/निरंतरता संबंधी शिकायत पर विचार नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका संख्या 17599/2023 दायर की थी, जिसका निपटारा सक्षम प्राधिकारी को उनके दावे पर विचार करने का निर्देश देकर किया गया था।

3. आगे यह निवेदन किया गया है कि वरिष्ठता क्रम के अनुसार, याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के पद से सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र थे, लेकिन उन्हें यह पदोन्नति नहीं दी गई है। तदनुसार, याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता के अनुसार सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अनुरोध करते हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे की प्रथम जांच प्रतिवादी संख्या 3, अर्थात् अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड), लखनऊ द्वारा की जानी आवश्यक है।

5. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रतिवादी संख्या 3/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड), लखनऊ के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता अपने वरिष्ठता स्तर, चिकित्सा श्रेणी में कमी की स्थिति और पात्रता को ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, विधिवत रूप से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

10 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"